न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 425/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जेठाराम पुत्र रामाराम (दत्तक पुत्र मूलाराम) जाति सुथार निवासी खुडियाला तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– नगारमा पुत्र उदाराम 2– देवाराम पुत्र रूघाराम 3– श्रीमती माडुदेवी पुत्री रूघाराम 4– श्रीमती सोनीदेवी पुत्री रूघाराम 5– श्रीमती चंपादेवी पत्नी रूधाराम 6– रामाराम पुत्र रूघाराम सभी जातियान सुथार निवासीगण ग्राम खुडियाला, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 7– श्रीमती मोहिनी पत्नी बुलाराम पुत्री मूलाराम निवासी गेडा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 8– सरकार जरिये उप तहसीलदार बालेसर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16–9–2013 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 93/2012 अनवान जेठाराम बनाम नगाराम वगैरा मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री चेतनराम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रविशेखर थानवी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 एवं 7 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 29–12–2017

वर्तमान अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उप तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम खुडियाला के नामांतरकरण संख्या 826 पर दिनांक 11–8–92 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मौजा खुडियाला के खसरा नंबर 381, 235, 236, 271, 167, 268, 269 व 270 कुल रकबा 162 बीघा वक्त सेटलमेंट जागीरदार मूलसिह पुत्र चिमनसिह की भूमि से जिसका माफिक बंदोबस्त मगना पुत्र नेना जाति सुथार के नाम खातेदारी मे इन्द्राज किया गया । मगना के फौत होने पर दिनांक 15–4–60 को फोतेदगी नामांतरकरण मगना के जायंदा लडको मूलाराम, उदाराम, रूघाराम व रामाराम कोम सुथार साकिन खुडियाला के नाम दर्ज किया गया । उक्त मे से मूलाराम एवं उदाराम की मृत्यु हो जाने से उनके उतराधिकारी का नामांतरकरण दिनांक 25–10–62 को ग्राम पंचायत खुडियाला द्वारा स्वीकृत किया गया । जिसमे मूलाराम का 1/4 हिस्सा उसकी पत्नी जवारा एवं उदाराम का हिस्सा उसके पुत्र नगाराम के नाम दर्ज किया गया । मूलाराम के कोई जायंदा पुत्र

नही था उसकी एक मात्र पुत्री रेस्पो0 संख्या 7 है । रेस्पो0 ने मिलीभगत कर उक्त भूमि का बंटवाडा कर मूलाराम के हिस्से का सत्य छुपाकर बंटवाडा नायब तहसीलदार से करवा लिया तथा उक्त बंटवाडे के आधार पर नामांतरकरण संख्या 826 विधिविरूद्ध स्वीकृत करवा लिया जिसे निरस्त करने का अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–9–2013 के द्वारा यह विवेचन देते हुए प्रथम अपील को खारीज कर दिया कि अपीलांट इस प्रकरण मे व्यथित पक्षकार नही होने एवं नामांतरकरण संख्या 826 आपसी सहमति से बंटवाडा के आधार पर स्वीकृत होने से अपील खारीज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा मे पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खातेदार मूलाराम के कोई जायंदा पुत्र नही था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मूलाराम को सभी परिवार वालो ने पितृ अवस्था मे भगवान का दर्जा देकर वादग्रस्त भूमि मे उनका थान स्थापित किया गया एवं माफिक पारिवारिक परम्परा के मूलाराम का उतराधिकारी अपीलाट को चुना गया तथा अपीलांट को स्व0 मूलाराम के दत्तक उतराधिकारी का हक सभी रेस्पो0 द्वारा दिया गया तथा मूलराम का पाग, फूल आदि पारिवारिक परम्परा व मान्यता अनुसार अपीलांट को ही पहनाये गये तथा उस वक्त मूलाराम की पुत्री भी उपस्थित थी जिसकी शादी हो चुकी थी तथा उसने अपने पिता की जायदाद मे हक जताने की इच्छा नही रखी तथा अपीलांट को ही अपने पिता मूलाराम का उतराधिकारी माना इसलिए अपीलांट को मृतक मूलाराम का दत्तक पुत्र के रूप मे अपील पेश करने का अधिकार होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव मे जानबूझकर मूलाराम के हक होने, खातेदारी रिकार्ड मे उनका इन्द्राज होने का तथ्य छिपाया, जबकि मूलाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी जवारा का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था एवं रेस्पो0 को यह अधिकार नही था कि वे मूलाराम का हिस्सा हडप ले । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 का हक 40 बीघा 05 बिस्वा से अधिक नही था परंतु इन्होने बंटवारे के द्वारा 54 बीघा भूमि प्रत्येक ने प्राप्त कर ली जो उनके हक मे नही थी तथाकथित बंटवाडा प्रस्ताव पर मूलाराम व उनके वारिसान की भी कोई सहमति नही थी इसलिए अपीलांट जो कि मूलाराम का दत्तक पुत्र होने से स्व0 खातेदार मूलाराम के हिस्से की भूमि उसके एवं उसकी जायंदा पुत्री रेस्पो0 संख्या 7 के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि नायब तहसीलदार बालेसर ने बिना किसी जांच व अनुसंधान के रेस्पो0 के कथनानुसार बंटवाडा मंजूर कर दिया जो न्यायसंगत नही माना जा सकता है । नायब तहसीलदार का यह दायित्व था कि मूलाराम के वारिसान को भी बंटवाडा प्रोसेस मे शामिल करके 1/4 हिस्सा मे बंटवाडा आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु ऐसा नही करने से उक्त बंटवाडा आदेश विधिसम्मत

नही होने से निरस्त योग्य है तथा उक्त बंटवाडा आदेश के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 826 भी निरस्त योग्य होने से उसे खारीज करने का निवेदन किया तथा बंटवाडे के माफिक की गई तरमीम को भी निरस्त करने का निवेदन किया तथा मृतक खातेदार मूलाराम के हिस्से की भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 7 के नाम खातेदारी मे दर्ज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट स्व0 रामाराम का पुत्र है तथा मूलाराम के कोई जायंदा पुत्र नही होने से अपीलांट अपने आप को मृतक खातेदार मूलाराम का दत्तक पुत्र बताते हुए उसके खातेदारी की भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानकर अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच हुए बंटवाडे के माफिक स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 826 को विधिविरूद्ध मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नही होना मानते हुए खारीज कर दी जाने पर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार मूलाराम के कोई जायंदा पुत्र नही है केवल मात्र एक पुत्री जो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 7 है, जिसने अपने पिता की खातेदारी की भूमि मे अपना हकतर्क कर दिया था उसके पश्चात अपीलाधीन भूमि के शेष खातेदारो ने आपसी सहमति से बंटवाडा उप तहसीलदार बालेसर से तस्दीक करवाकर माफिक बंटवाडा प्रस्ताव अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 826 विधिवत स्वीकृत किया गया था जिसे अपीलांट अपील के जरिये चुनौती दी है जबकि अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि मे अपने हक अधिकार बाबत धारा 88, 53, 188 का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ मे पेश कर रखा है जिसमे सभी को पक्षकार बनाया हुआ है इसलिए अपीलांट के हक अधिकार तो दावे से ही तय होने है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी यही अभिमत प्रकट करते हुए प्रथम अपील को खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 826 का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 826 जो कि बंटवाडा आदेश के अनुसरण मे स्वीकृत किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है । हालांकि रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजो से प्रकट है कि अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे रेस्पो0 देवाराम, नगाराम एवं रामाराम को पक्षकार बनाते हुए उनके द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित बंटवाडा आदेश को शून्य करवाने हेतु एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के न्यायालय मे पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन है जिसमे पारित निर्णय से ही पक्षकारो के अधिकारो का अंतिम निर्धारण होना है । यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो समर्थन योग्य होने से उसमे हम हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त द्वितीय अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–9–2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर